

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम (संशोधन) वधियक, 2021

चर्चा में क्यों?

3 अगस्त, 2021 को मध्य प्रदेश में आबकारी संबंधी अपराधों को हतोत्साहित करने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के अपराध पर अधिरोपित होने वाली शास्ति दण्ड तथा फाईन में वृद्धि करने के लिये मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम (संशोधन) वधियक [Madhya Pradesh Excise Act (Amendment) Bill] , 2021 का अनुमोदन किया गया।

प्रमुख बडि

- इसमें मुख्यतः धारा 49 (A) के अंतर्गत जहरीली शराब से संबंधित अपराधों के लिये दंड का प्रावधान किया गया है।
- यदि जहरीली शराब के सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस अपराध के लिये दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड और न्यूनतम 20 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
- संशोधन वधियक में मानवीय उपयोग के लिये अनुपयुक्त अपमश्रित मंदिरा सेवन से शारीरिक क्षति होने पर पहली बार में न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 8 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 2 लाख रुपये तक का जुर्माना तथा दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- इसी तरह मानवीय उपयोग के लिये अनुपयुक्त अपमश्रित मंदिरा मलिन पर पहली बार में न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 6 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना तथा दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 6 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- किसी आबकारी अधिकारी द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य नषिपादन में बाधा डाले या हमला करे, उसे गरिफ्तार किया जा सकेगा।
- मध्य प्रदेश में महुआ आधारित शराब को मुख्य धारा में लाने के लिये उसे हैरटिज (पारम्परिक) मंदिरा का दर्जा दिये जाने का नरिणय लिया गया है। इससे नरियंत्रित नरिमाण एवं वकिरय के लिये वभिग द्वारा नरियम नरिधारित किये जाएंगे। इससे महुआ से नरिमति मंदिरा के लघु उद्योग प्रोत्साहित होंगे। अधिनियम में पहले से प्रावधानित आदवासियों के अधिकार यथावत सुरक्षित रखे जायेंगे।